अनुदान संख्या 61 — जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
GRANT No. 61 - DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	8756,92,00	17593,11,00	17138,40,76	-454,70,24
पूरक	Supplementary	8836,19,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				67,67,41
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	344,77,00	344,81,00	195,10,54	-149,70,46
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				70,38,88

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :—

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय—आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	10650.00			
पू.	S.	1.00	21523.95	21192.77	-331.18
पु.	R.	10872.95			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	42800.00			
पू.	S.	3562.00	6383.87	..	-6383.87
पु.	R.	-39978.13			
मुख्य शीर्ष "2700" मुख्य सिंचाई	Major Head "2700" Major Irrigation				
पू.	S.	1.00	465204.13	463446.00	-1758.13
पु.	R.	465203.13			
मुख्य शीर्ष "2701" मध्यम सिंचाई	Major Head "2701" Medium Irrigation				
मू.	O.	491623.00			
पू.	S.	435001.00	524228.87	521166.37	-3062.50
पु.	R.	-402395.13			
मुख्य शीर्ष "2702" लघु सिंचाई	Major Head "2702" Minor Irrigation				
मू.	O.	32185.00			
पू.	S.	1.00	33832.84	33373.57	-459.27
पु.	R.	1646.84			
मुख्य शीर्ष "2711" बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	Major Head "2711" Flood Control and Drainage				
मू.	O.	3931.00	12514.64	12172.28	-342.36
पु.	R.	8583.64			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3435" पारिस्थितिकी और पर्यावरण	Major Head "3435" Ecology and Environment				
मू.	O.	146320.00			
पू.	S.	78613.00	193079.00	190614.47	-2464.53
पु.	R.	-31854.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	122413.00			
पू.	S.	366194.00	474733.28	451834.85	-22898.43
पु.	R.	-13873.72			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	19075.00			
पू.	S.	246.00	13784.21	13679.20	-105.01
पु.	R.	-5536.79			

(I) ₹485549.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹433808.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) चौबीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹483672.50 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹485549.00 lakhs (including supplementary grants of ₹433808.00 lakhs obtained in December, 2021 and March, 2022) remained wholly unutilized under twenty four heads; of these ₹483672.50 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(A) Major Head "2552"-

(क) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय रिसोर्स पूल को अंशदान" –

(a) "Contribution to Central Resource Pool for Development of North Eastern Region" –

(i) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजना" – ₹2311.00 लाख – नई योजना के क्रियान्वयन और एकल नोडल एजेंसी प्रणाली की शुरूआत करने के लिए अनुमोदन में विलंब के कारण।

(ii) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन" – ₹1250.00 लाख – क्रियान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।

(ख) "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹10000.00 लाख;

(ग) "सामान्य (मध्यम सिंचाई) अन्य व्यय" –

(i) "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹1550.00 लाख;

(ii) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाईं योजना (हर खेत को पानी)" – ₹24900.25 लाख (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" – ₹550.00 लाख;

(iv) "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹1500.25 लाख (मार्च, 2022 में प्राप्त किए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(i) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programme and National/ Special Project" - ₹2311.00 lakhs - due to delay in approval for implementation of new scheme and introduction of Single Nodal Agency system.

(ii) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Command Area Development and Water Management" - ₹1250.00 lakhs – due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(b) "Flood Control - Other Expenditure - River Basin Management" - ₹10000.00 lakhs;

(c) "General (Medium Irrigation) Other Expenditures" -

(i) "Development of Water Resources Information System" - ₹1550.00 lakhs;

(ii) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (Her Khet Ko Pani)" - ₹24900.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in March, 2022);

(iii) "Human Resource Development/ Capacity Building" - ₹550.00 lakhs;

(iv) "Flood Management and Border Area Programme" - ₹1500.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in March, 2022);

(घ) "सामान्य – अनुसंधान – राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना" – ₹1100.00 लाख;

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹2000.00 लाख;

प्रावधान उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए संबंधित परियोजनाएं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य" –

(क) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – नदियों को जोड़ना" – दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹430000.00 लाख का पूरक अनुदान – नदियों को जोड़ने के लिए नव निर्मित मुख्य शीर्ष को निधियों के अंतरण के कारण।

(ख) "अन्य व्यय – मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" – ₹936.00 लाख– विज्ञापन और कम बैठकों/कार्यशालाओं/सेमीनार को संचालन हेतु कम निधियों की आवश्यकता के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹1500.00 लाख – कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ₹6075.00 लाख – संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।

(d) "General - Research - National Hydrology Project" - ₹1100.00 lakhs;

(e) "Tribal Area Sub-Plan - Flood Management and Border Areas Programme" - ₹2000.00 lakhs;

Provisions under the above eight heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2701" - "General" -

(a) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Interlinking of Rivers" - supplementary provision of ₹430000.00 lakhs obtained in December, 2021- due to transfer of funds to newly created Major Head for interlinking of rivers.

(b) "Other Expenditure - Human Resource Development/Capacity Building" - ₹936.00 lakhs – due to requirement of less funds towards advertising and conduction of less meetings/workshops/seminars.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes – Externally Aided Projects -Grants for Centrally Sponsored Schemes - National River Conservation Plan"- ₹1500.00 lakhs - due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana" - ₹6075.00 lakhs - due to receipt of less proposals from Union Territories.

(II) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" निम्नलिखित शीर्षों के तहत प्रत्येक के सम्मुख दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन" – दिसम्बर, 2021 में ₹20000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके निधियां प्रदान की गईं जो, नई परियोजनाओं के अनुमोदन में देरी के कारण ₹10000.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(ख) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजना" – दिसम्बर, 2021 में ₹318193.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके निधियां प्रदान की गईं जो, तथापि, ₹109146.38 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजना" – दिसम्बर, 2021 में ₹24000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके निधियां प्रदान की गईं जो, ₹15150.22 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(ख) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – सिंचाई क्षेत्र का विकास और जल प्रबंधन" – दिसम्बर, 2021 में ₹4000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके निधियां प्रदान की गईं जो, ₹3202.16 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Command Area Development and Water Management" – funds were provided by obtaining supplementary grants of ₹20000.00 lakhs in December, 2021, which, however remained unutilized to the extent of ₹10000.00 lakhs - due to late approval of new projects.

(b) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programme and National/Special Project" - funds were provided by obtaining supplementary grants of ₹318193.00 lakhs in December, 2021, which, however remained unutilized to the extent of ₹109146.38 lakhs;

(B) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programme and National/Special Project" - funds were provided by obtaining supplementary grants of ₹24000.00 lakhs in December, 2021, which, however remained unutilized to the extent of ₹15150.22 lakhs; and

(b) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Command Area Development and Water Management" - funds were provided by obtaining supplementary grants of ₹4000.00 lakhs in December, 2021, which, however remained unutilized to the extent of ₹3202.16 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधि की मांग के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2701" के तहत – "सामान्य" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "निदेशन और प्रशासन – केन्द्रीय जल आयोग" – ₹2374.52 लाख की बचत (₹38838.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने, रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने और परिकल्पित गतिविधियों के पूर्ण न होने के कारण हुई।

(खा) "प्रशिक्षण – मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" – ₹968.45 लाख की बचत (₹1046.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति होने, कम दौरे किए जाने और परिकल्पित गतिविधियों के पूर्ण न होने के कारण हुई।

(गा) "अन्य व्यय – नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹3444.26 लाख की बचत (₹9840.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधि की मांग और परिकल्पित गतिविधियों के पूर्ण न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2711" के अंतर्गत – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹2185.72 लाख की बचत (₹3931.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मरम्मत/रखरखाव संबंधी कम निधियों की आश्यकता होने, रिक्त पदों को न भरे जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to requirement of less funds by the implementing agencies owing to availability of unspent balances of previous year.

(III) Under Major Head "2701" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration – Central Water Commission" - saving of ₹2374.52 lakhs (against the sanctioned provision ₹38838.00 lakhs) was due to retirement of work charged employees, non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and non-materialization of envisaged activities.

(B) "Training - Human Resource Development/ Capacity Building"- saving of ₹968.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1046.00 lakhs) was due to receipt of less medical claims, less tours undertaken and non-materialization of envisaged activities.

(C) "Other Expenditure - River Basin Management" - saving of ₹3444.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9840.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds by the implementing agencies owing to availability of unspent balances of previous year and non-materialization of envisaged activities.

(IV) Under Major Head "2711" - "Flood Control – Other Expenditure - Flood Management and Border Areas Programme" - saving of ₹2185.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3931.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards repairs/maintenance, non-filling up of vacant posts and less tours undertaken.

(V) मुख्य शीर्ष "3435" – "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम – राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹35186.14 लाख की बचत (₹85769.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधि की मांग और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3435" - "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers - National River Conservation Plan"- saving of ₹35186.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹85769.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies and availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹1916.19 लाख की बचत (₹14586.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधि की मांग के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share - Flood Management and Border Areas Programme" - saving of ₹1916.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14586.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies owing to availability of unspent balances of previous year.

2.(I) उपर्युक्त बचतें, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹553768.83 लाख) अप्रयुक्त रहीं जिसे निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत जुलाई, 2021, दिसंबर, 2021 और मार्च, 2022 में ₹517180.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹553768.83 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹517180.00 lakhs in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण" – ₹10859.33 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹10668.84 लाख था।

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation" - ₹10859.33 lakhs. Actual Excess, however, was ₹10668.84 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2700" – "सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – नदियों को जोड़ना" – ₹465203.13 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹463445.00 लाख था।

(B) Major Head "2700" - "General - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Interlinking of Rivers" - ₹465203.13 lakhs. Actual Excess, however, was ₹463445.00 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य" –

(क) "निदेशन एवं प्रशासन – पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान" – ₹509.11 लाख।

(C) Major Head "2701" - "General" –

(a) "Direction and Administration –North Eastern Regional Institute of Water and Land Management" - ₹509.11 lakhs.

(ख) "प्रशिक्षण – राष्ट्रीय जल अकादमी" – ₹545.81 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹543.27 लाख था।

(b) "Training - National Water Academy" - ₹545.81 lakhs. Actual excess, however, was ₹543.27 lakhs.

(ग) "अनुसंधान" –

(c) "Research" –

(i) "राष्ट्रीय जल विकास संस्थान" – ₹820.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹819.00 लाख था।

(i) "National Institute of Hydrology" - ₹820.00 lakhs. Actual Excess, however, was ₹819.00 lakhs.

(ii) "राष्ट्रीय जल विकास परियोजना" – ₹15781.66 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹15627.21 लाख था।

(ii) "National Hydrology Project" - ₹15781.66 lakhs. Actual Excess, however, was ₹15627.21 lakhs.

(iii) "अनुसंधान एवं विकास और राष्ट्रीय जल मिशन का क्रियान्वयन" – ₹943.05 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹372.15 लाख था।

(iii) "Research and Development and Implementation of National Water Mission" - ₹943.05 lakhs. Actual excess, however, was ₹372.15 lakhs.

(घ) "अन्य व्यय – पीएमकेएसवाई के तहत नाबार्ड से ऋण की सर्विसिंग" – ₹14500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹13599.95 लाख था।

(d) "Other Expenditure – Servicing of Loans from NABARD under PMKSY" - ₹14500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13599.95 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष "2702" – "भू–जल – अन्य व्यय राजीव गांधी राष्ट्रीय भू–जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान" – ₹292.74 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹273.02 लाख था।

(D) Major Head "2702" – "Ground Water - Other Expenditure – Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute" - ₹292.74 lakhs. Actual excess, however, was ₹273.02 lakhs.

(ङ) मुख्य शीर्ष "2711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹10427.00 लाख।

(E) Major Head "2711" – "Flood Control – Other Expenditure – River Basin Management" - ₹10427.00 lakhs.

(चा) मुख्य शीर्ष "3435" – "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदीयों के प्रदूषण की रोकथाम – राष्ट्रीय गंगा योजना" – ₹1387.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹789.96 लाख था।

(F) Major Head "3435" - "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers - National Ganga Plan" - ₹1387.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹789.96 lakhs.

(छा) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – लंबे समय से सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने के लिए विशेष पैकेज" – ₹32500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹32499.00 लाख था।

(G) Major Head "3601" – "Other Transfer/ Grants to States - Special Assistance - Special Package for Irrigation Projects to address Agrarian Distress in Chronically Drought Prone Areas" - ₹32500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹32499.00 lakhs.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित की गईः–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य – आरक्षित निधि/ जमा लेखा में अंतरण – अपर यमुना रिवर बोर्ड" – ₹972.45 लाख। (₹2.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार के योगदान से धन के हस्तांतरण के कारण था।

(A) Major Head "2701" - "General – Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Upper Yamuna River Board" - excess of ₹972.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2.00 lakhs) was due to transfer of funds from State Governments contribution towards construction of office building.

(खा) मुख्य शीर्ष "2702 – "भू–जल – अन्वेषण – केन्द्रीय भू–जल बोर्ड" – ₹1355.47 लाख का अधिक व्यय (₹23750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य प्रभारित कर्मचारियों की वार्षिक वृद्धि/एरियर के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की मांग के कारण था।

(B) Major Head "2702" – "Ground Water - Investigation - Central Ground Water Board" - excess of ₹1355.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23750.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of annual increment/arrears of work charged staffs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(i) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" – ₹52894.23 लाख का अधिक व्यय (₹43595.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए संबोधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु कार्यात्मक शीर्ष को मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों के पुनर्विनियोग और स्कीम क्रियान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त निधि की मांग के कारण था।

(C) Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes" –

(a) "Central Assistance/Share" –

(i) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana" - excess of ₹52894.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43595.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by the implementing agencies and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹11367.85 लाख का अधिक व्यय (₹5932.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ii) "National River Conservation Plan" - excess of ₹11367.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5932.00 lakhs);

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – हर खेत को पानी" – ₹7381.72 लाख का अधिक व्यय (₹16500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Her Khet Ko Pani" - excess of ₹7381.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16500.00 lakhs); and

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹1000.00 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(D) Major Head "3602" – "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share -National River Conservation Plan" - excess of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय, स्कीम के क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds by the implementing agencies towards scheme implementation.

(III) उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹865.58 लाख का अधिक व्यय हुआ, प्रत्येक ₹250.00 लाख से कम और ₹500.00 लाख से कम, जो स्कीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत से 380.89 प्रतिशत कम है।

(III) Under two heads excess of ₹865.58 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 34 percent to 380.89 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4701" मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4701" Capital Outlay on Medium Irrigation				
मू.	O.	8260.00			
पू.	S.	2.00	6407.79	5544.35	-863.44
पु.	R.	-1854.21			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष		Head				
मुख्य शीर्ष "4702" लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		Major Head "4702" Capital Outlay on Minor Irrigation				
मू.	O.		22120.00			
पू.	S.		2.00	17242.11	10976.35	-6265.76
पु.	R.		-4879.89			
मुख्य शीर्ष "5075" अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		Major Head "5075" Capital Outlay on Other Transport Services		3005.00	2434.97	-570.03

(I) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹1446.00 लाख का प्रावधान पूर्णरूपेण अप्रयुक्त रहाय इनमें से ₹1200.00 लाख केवल मुख्य शीर्ष "4702" के लिए लेखाबद्ध किए गए – "भू–जल – अवसंरचना विकास" – अवसंरचना विकास स्कीम के बंद होने और अवसंरचना विकास से केन्द्रीय भू–जल बोर्ड को निधियों के अंतरण के कारण।

(I) Provision of ₹1446.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹1200.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4702" - "Ground Water - Infrastructure Development" - due to closure of Infrastructure Development Scheme and transfer of funds from Infrastructure Development to Central Ground Water Board.

(II) मुख्य शीर्ष "4701" – "सामान्य" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "4701" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसंधान – राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना" – ₹625.58 लाख की बचत (₹2386.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(A) "Research - National Hydrology Project" - saving of ₹652.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2386.00 lakhs);

(खा) "अन्य व्यय" –

(B) "Other Expenditure" -

(क) "जल संसाधन सूचना प्रणाली" – ₹514.61 लाख की बचत (₹3010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Development of Water Resources Information System" - saving of ₹514.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3010.00 lakhs); and

(ख) "बांध पुनर्वास तथा सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)" – ₹685.42 लाख की बचत (₹1093.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Dam Rehabilitation and Improvement Programme (DRIP)" - saving of ₹685.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1093.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें मशीनरी और उपकरणों की खरीद में देरी के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to delay in procurement of machinery and equipments.

(III) मुख्य शीर्ष "4702" – "अन्य व्यय – भू–जल प्रबंधन और नियंत्रण" – ₹10595.20 लाख की बचत (₹20400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपकरणों की खरीद में देरी और कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4702" - "Other Expenditure - Ground Water Management and Regulation"- saving of ₹10595.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20400.00 lakhs) was due to delay in procurement of machinery & equipments and slow pace of work.

(IV) मुख्य शीर्ष "5075" – "नदी प्रशिक्षण कार्य – फरक्का परियोजना – फरक्का बैराज" – ₹570.03 लाख की बचत (₹3005.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खरीद प्रक्रिया में देरी और कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "5075" - "River Training Works - Farakka Project - Farakka Barrage" - saving of ₹570.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3005.00 lakhs) was due to delay in procurement process and slow pace of work.

(ट) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹420.41 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 53 प्रतिशत है।

(V) Under one head saving of ₹420.41 lakhs occurred constituting 53 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1200.00 लाख) प्रयुक्त की गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष "4702" – "अन्य व्यय – केन्द्रीय भू–जल बोर्ड" के अंतर्गत दिसम्बर, 2021 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को सूचित किया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 919.00 लाख रुपए हुआ।

2. The above savings were partly (₹1200.00 lakhs) unutilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2021 under Major Head "4702" – "Other Expenditure – Central Ground Water Board". Actual excess, however, was ₹919.00 lakhs.